

संक्षेप में इस प्रकार है कि एक डा. पत्र  
अंतर्गत धारा 136 LR Act के अंतर्गत  
जहाँ और फूल कुमारी के स्थान पर नाम  
सुभम लिखे जाने का प्रमाण मिलान किया  
गया। डा. पत्र पर TDR (Tamil Nadu  
रिपोर्ट) प्राप्त की गई। मुलाखत रिपोर्ट  
TDR (रॉली) के अंतर्गत मामला नं. 633/8 व 108 में खातेदार फूल कुमारी  
जाति जायद दर्ज है जिसमें पत्र  
के पत्र नं. 4 के अनुसार फूल कुमारी व  
सुभम एक ही व्यक्ति हैं। TDR (रॉली) की  
रिपोर्ट के आधार पर उक्त डा. पत्र को  
स्वीकार किया जाना अन्यायपूर्ण प्रतीत  
होता है। अतः उक्त डा. पत्र स्वीकार  
किया जाता है व या TDR (रॉली) को निर्यात  
दिये जाते हैं कि जहाँ मामला नं. 633/8 व 108 में खातेदार फूल कुमारी  
का नाम फूल कुमारी के स्थान पर सुभम  
दर्ज लिखे जाने के आदेश उद्यत लिखे  
जाते हैं। आदेश की पालना अथवा TDR  
को नहीर जारी हो। पत्रावली के अंतर्गत  
सुभम एकर नंबर से कम वाकिल 9472  
की गई।